43020/71/2014-RTI

To be issued in Hindi
RTI MATTER/TIME BOUND

Government of India/भारत सरकार

Ministry of Home Affairs/गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 जून, 2014

ORDER

Sub: First Appeal preferred by Shri Data Ram under RTI Act, 2005- regarding.

Whereas Shri Data Ram vide his RTI application dated 30/10/2013(received in this Ministry on 07/11/2013) had sought information from the Ministry of Home Affairs regarding his grievances against the Police officials.

2. Whereas CPIO vide his letter No. 43020/01/2014-RTI dated 31/12/2013 had already advised the applicant to contact the State Govt. of Uttar Pradesh as the matter relates them.

3. Whereas vide his first appeal dated Nil(received in this Ministry on 05/06/2014), Shri Data Ram has requested to redress his grievances.

4. Whereas it is observed that the appellant has highlighted his personal grievances and has requested this Ministry for redressal of the same. Under the RTI Act, 2005 an applicant can only seek information from a Public Authority which already exists and is held by or under the control of that Public Authority. The PIO is not supposed to create information or to interpret rules, redress grievance. The PIO is not supposed to do any research on behalf of the applicant to deduce any information from the available material for furnishing to the applicant.

5. It is further observed that the grievances of the applicant are mainly against the Delhi Police Officials. Therefore, a copy of the RTI application and appeal of Shri Data Ram is being sent to Delhi Police for taking necessary action, if any.

6. The Appeal of the appellant is accordingly disposed of.

30/6/14

(Satpal Chouhan)
Joint Secretary & Appellate Authority
Ph. No. 23093178

Shri Data Ram,
S/o Shri Hari Singh,
Vill: Bhawanpura, P.O. Adig,
Distt. Mathura(UP).

Copy along with a copy of RTI application and appeal of Shri Data Ram to:

1. Commissioner of Police, Delhi Police Headquarter, IP Estate, New Delhi
2. SO(IT Cell) for uploading of RTI application, appeal and reply under the concerned Appellate Authority with search facility based on key words in the MHA website under the heading RTI Act- Information under 4(1)(b) of the Act.

30/6/14

Joint Secretary & Appellate Authority

137/RTI/MHA/2014/Appeal 70

25/6/14

REGISTERED

श्रीमान गृह मंत्री महोदय, गृह मंत्रालय भारत सरकार, दिल्ली

विषय :- श्री डी० सी० पी० दीपक मिश्रा थाना शालीमार बाग दिल्ली [illegible] पुत्र SHO थाना तिलक नगर, के रूम कोटा (नई दि० 18 पूर्व चौकी इन्चार्ज रघुवीर नगर थाना तिलक नगर, श्री [illegible] कुमार, दयानन्द, चन्द्रेल नजर चन्द्रेला [illegible] [illegible] हरसिंह पुत्र परताप सिंह, इन्द्र [illegible] 80 विष्णु गार्डन नई दि० 15 [illegible] [illegible] [illegible] के इनके [illegible] [illegible] [illegible] जांच [illegible] [illegible]

महोदय,

निवेदन करना है कि मेरा [illegible] मकान नं० II-K 45 विष्णु गार्डन इन्वायरी नहीं पिछले ग्यारह साल से, और [illegible] पर [illegible] [illegible] के किराये पर रहता था। हमारे इस मकान में आने से पहले [illegible] [illegible] पहले प्रेम कौर पत्नी बलवंत सिंह का [illegible] हो चुका था। [illegible] मकान को [illegible] [illegible] [illegible] हुआ। ये मकान प्रेम कौर के नाम पर था। इस मकान को [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] कमजोरी यह थी, प्रेम कौर को कोख से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था [illegible] [illegible] [illegible] दयानन्द [illegible] अपने आदमी [illegible] [illegible] [illegible] दिया, पहले तो औरत को [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] हुए थे। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] और दो साल तक [illegible] में [illegible] [illegible] को [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] इस मकान के लालच में प्रेम कौर को मार चुके हैं। और अब बलसा को भी अपने प्लान के मुताबिक दि० 7/4/05-6-4-05 को [illegible] दिया, उसी समय पुलिस आयुक्त को लिखकर भी दिया। [illegible] मौत का जिसमें नाम डी० सी० पी० दीपक मिश्रा है। बलसा की हत्या का केस 302 की जगह 304 का बना दिया। [illegible] बलसा की हत्या हुई। उसी समय रघुवीर चौकी [illegible] [illegible] के सोते हुए को [illegible] का [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] के बाद [illegible] [illegible] [illegible] को हरसिंह II-K 45 में [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] की जगह [illegible] में रख दी। [illegible] का [illegible] सामान रोड पर फेंक दिया। [illegible] दयानन्द ने [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

८

[illegible] दे [illegible] प्रेम [illegible] के एक [illegible] ने [illegible] कुमार [illegible]
मकान में कब्जा नहीं [illegible] । [illegible] ने [illegible] और [illegible]
[illegible] को [illegible] । और [illegible] इन लोगों को [illegible] (रहेंगे)
[illegible] पर [illegible] कुमार ने कहा [illegible] हमको मकान में आने से [illegible]
[illegible] के [illegible] के नाम का मकान है और [illegible] है । इनको मकान में
[illegible] । [illegible] के सामने [illegible] ने [illegible] । [illegible]
४- [illegible] ने [illegible] की [illegible] । [illegible] के [illegible]
[illegible] बनाया । राम सिंह को [illegible] बनाया । [illegible]
[illegible] हुई । [illegible] लिखी [illegible] । [illegible] २०८३ को [illegible]
[illegible] अग्रवाल [illegible] नं० ३-५-८ [illegible] है । [illegible]
[illegible] मकान में आने नहीं दिया । मकान में [illegible] को [illegible]
इन लोगों के मकान से [illegible] सामान गायब कर दिया । [illegible]
[illegible] दिया । इस [illegible] के [illegible]
५- [illegible] के [illegible] ने [illegible]
५४० । २०४ तिलक नगर [illegible] पर [illegible] । [illegible] हेतु [illegible]
[illegible] सिंह [illegible] तिलक नगर में दि० २५-११-०५ में [illegible]
[illegible] । [illegible]
[illegible] दिया । [illegible] को [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] है । [illegible]
(६) [illegible] था । [illegible]
[illegible] । [illegible]
[illegible] को [illegible] । तिलक नगर थाने ले गये । [illegible]
[illegible] । [illegible] को [illegible]
तिलक नगर थाने ले गया । थाने पर [illegible] करा दिया । थाने में [illegible]
[illegible] । ५४० [illegible]
[illegible] । [illegible]
[illegible] दिया । इस [illegible]
[illegible] । [illegible]
(७) [illegible] कर दिया । [illegible]
[illegible]

आर टी आई मामला/समयबद्ध

सं. ए-43020/01/2013-आर टी आई

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

****

नई दिल्ली, दिनांक: 04/09/ 2013

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री/श्रीमती/सुश्री ....दाता राम....द्वारा मांगी गई सूचना

****

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपने दिनांक 26/08/2013 के आवेदन का संदर्भ लें जो दिनांक 30.08./2013 को इस मंत्रालय में/(........................) से अन्तरण द्वारा प्राप्त हुआ। इस संबंध में यह उल्लेख किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 तथा सूचना का अधिकार (शुल्क एवं लागत का विनियमन) नियमावली के अनुसार; सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 की उप धारा (1) के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने संबंधी अनुरोध के साथ दस रूपए का आवेदन शुल्क, समुचित रसीद के जरिए नगद रूप में अथवा उस लोक प्राधिकारी के लेखा अधिकारी को देय डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चेक अथवा भारतीय पोस्टल आर्डर के रूप में लगा होना चाहिए जिससे सूचना मांगी जा रही है।

2. आपके उपर्युक्त आर टी आई आवेदन में निम्नलिखित कमियां देखी गई हैं:-

(i) 10/- रुपए का शुल्क नहीं भेजा गया है, जो गरीबी रेखा से नीचे (बी पी एल) श्रेणी के आवेदकों को छोड़कर, सभी आवेदकों के लिए अनिवार्य है। ~~BPL कार्ड धारक कार्ड डिजी 19183 अटैच्ड~~

(ii) ~~शुल्क का भुगतान/प्रेषण न्यायालय शुल्क स्टाम्प/गैर-न्यायिक पेपर/एकाउन्ट पेयी चेक/पोस्टेज स्टाम्प/(ओं) के रूप में किया गया है जो अधिनियम के तहत शुल्क के भुगतान का वैध तरीका नहीं है।~~

(iii) ...10../-रुपए का ~~डिमाण्ड ड्राफ्ट~~/भारतीय पोस्टल आर्डर भेजा गया है, जो अधिनियम के तहत अभिनिर्धारित शुल्क नहीं है।

(iv) भेजा गया डिमाण्ड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर सही प्राधिकारी के पक्ष में देय नहीं है। यह "लेखा अधिकारी, गृह मंत्रालय" को देय होना चाहिए।

3. उपर्युक्त के मद्देनजर, आपका आर टी आई आवेदन,...10../- रुपए के भारतीय पोस्टल आर्डर/~~डिमाण्ड ड्राफ्ट/चेक/गैर-न्यायिक पेपर/न्यायालयी शुल्क स्टाम्प~~ (संख्या ....) (11F 119106) के साथ वापस किया जाता है।

संलग्नक : यथोपरि

बी. के. राजन

(बी.के. राजन)

उप सचिव (स्था.) एवं

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

सेवा में,

श्री/~~श्रीमती/सुश्री~~ दाता राम

ग्राम भवनपुरा, पोस्ट अडींग

जिला मथुरा

उत्तर प्रदेश।

सेवा में (04/11874/2013 8/9/13)

18/9/013

28/8/013

~~श्रीमान गृह मंत्री~~ लोक सूचना अधिकारी महोदय

गृह मंत्रालय भारत सरकार दिल्ली

1492/SI

विषय → आर टी आई अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना देने के सम्बन्ध में

महोदय

निवेदन करना है कि आप अपने कार्यालय से यह जानकारी प्राप्त करें कि एक ही मामले हेतु अनगिनत बार लिख कर दे चुका हूँ फिर मुझे इन्साफ क्यों नहीं मिला है। इसकी वजह बताए।

RTI

(1) मामला मकान नं॰ III A 45 निठारी गार्डन रघुबीर नगर नई दिल्ली उपरोक्त पते का शुरू से आखीर तक का मामला आपके कार्यालय में पड़ा है। अब लिखने को कुछ भी नहीं बचा।

(2) उपरोक्त पते पर मेरा समस्त परिवार किराए पर था। दि॰ 7/9/83 को मकान मालिक की हत्या हुई। इससे पहले मकान मालकिन की हत्या हुई। लगातार दो हत्याएँ एक ही व्यक्ति ने की। उसका नाम था हेराजाद जो इस मकान में किराए पर रहता था। इस बात की पुष्टी हेतु बन्ने ने बी॰जे॰ लोनानु पुलिस में अपने ब्यान देकर की थी। आपने करने की था संका थी।

(3) पूरे दो साल तक मैंने सभी सम्बद्ध अधिकारियों को लिख कर दिया। उसके उपरान्त लकेशसिंह की हत्या हुई। कातिल को पुलिस को इतला करके पकड़वाया। कातिल नेता दयानन्द का आदमी था। इस मकान को हड़पने के उद्देश्य से हत्या कराई। मकान मालिक प्रेमनाथ जिसके नाम पर ये मकान था उसकी हत्या का मामला पूरी तरह रफादफा करा दिया। लाश को हत्या का मामला दर्ज नहीं कराया। इसी दरम्यान मेरे सामान सहित मकान पर जबरन पुलिस से मिलकर कब्जा हुआ। जब डी॰सी॰पी॰ दीपिका सिंह पूर्व SHO के एक चौकी इन्चार्ज रघुबीर नगर थाना तिलक नगर ये तीनों खरीदे हुए नेता दयानन्द के गुलाम थे। तीनों ने सभी मुख्य अधिकारियों को धोखा में रखा। न्याय नहीं मिलने दिया। कमिश्नर ने अदालत को भी गुमराह किया। SHO को पांच हजार के लिए...

सेवामें
Date 08-10-13

श्रीमान लेखा अधिकारी महोदय
ग्रह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली

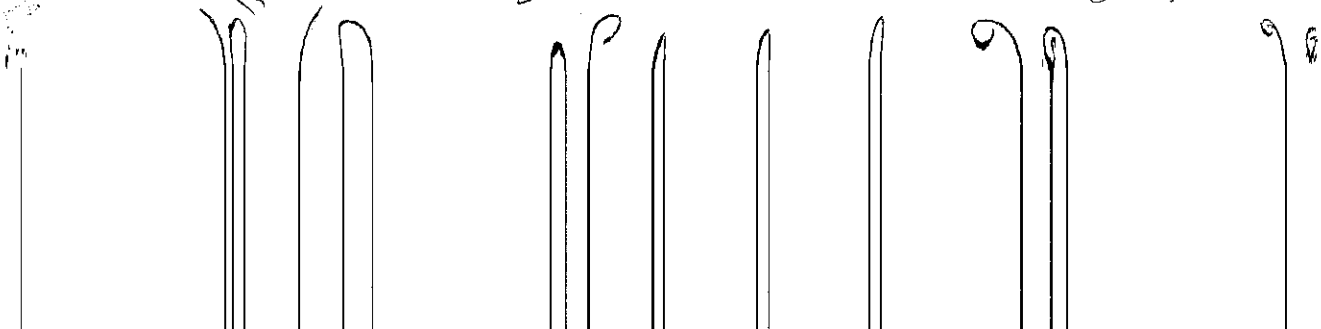

सेवा में,   Date 08-10-13

श्रीमान लेखा अधिकारी महोदय
गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली

7383/RTI/013.
10/12/13.

<u>विषय</u> :- प्रार्थी की अपील स्वीकार करने के सम्बन्ध में
नोट :- पोस्टल आर्डर नं० 17F 286841

महोदय
अवगत कराना है कि प्रार्थी को जो आदेश गृह मंत्रालय से प्राप्त हुआ है। उसी आदेश पर आपको प्रार्थना पत्र सम्बोधित अपील स्वीकार करने हेतु सम्बोधित कर रहा हूँ तथा 10 रु० का पोस्टल आर्डर शुल्क आपके नाम पेश कर रहा हूँ इसके उपरान्त प्रार्थी बी पी एल अन्त्योदय का कार्ड धारी है अन्त्योदय कार्ड नं० 19183 है। इस बात की जानकारी आप खण्ड विकास अधिकारी गोवर्धन जनपद मथुरा से सम्पर्क कर सकते हैं।

(1) प्रार्थी का सम्पूर्ण मामला 100% सच्चाई पर है परन्तु प्रार्थी की सच्चाई को झूठ में पैसे की ताकत नेतागीरी पर बदलवाया गया है। प्रार्थी निहायत गरीब बेरोजगार व्यक्ति है और उम्र 60 साल की लगभग हो चुकी है। इस गरीबी की वजह [illegible] से जीता मकान छीना (मकान में रखे मेरे सामान को गायब किया। मकान तोड़ कर नया बना कर दूसरी पार्टी को [illegible] गया। इस घोर अन्याय का बोध सभी उच्च अधिकारियों को [illegible] किया। नेता एवं दबंग होने के कारण मेरी सुनवाई नहीं हुई। प्रार्थी को न्याय से वंचित इलाके के डी० सी० पी० राजीव गर्ग SHO थाना तिलक नगर चौकी प्रभारी ख्याला तीनों पुलिस पदाधिकारी नेता दयानन्द चंदीला के खरीदे गुलाम थे। दि० 7/9/95 8-9-95 को बलबीर सिंह S/O प्रताप सिंह की हत्या की गयी। ख्याला चौकी पर S/O जगदीश चन्द को सोते हुए को जगा कर कातिल हरीनाथ और के वारदात पर देख गया सबूतों पर पकड़वाया

(3) पुलिस ने F.I.R. सूचना का नाम राजबाला का दिया। क्योंकि राजबाला कातिल की प्रेमिका थी। सर्व प्रथम प्रार्थी की पत्नी शीला का नाम दिया। उसको हटा कर राजबाला का दिया। कातिल को कैद के लिए। जिस कातिल ने लगातार से हत्याएं की पति पत्नी की, ऐसे खतरनाक कातिल को प्रार्थी ने पकड़वाया। ऐसे खतरनाक कातिल का पुलिस ने केस कमजोर किया। बचाने के लिए राजबाला गवाह बना दी। और उसी दरम्यान सामान सहित मकान पर कब्जा कर लिया गया।

RTI

[illegible]

Forward

Relly
UP Govt

To be replied in Hindi

PLEASE ISSUE
R&I SECTION

31/12

RTI MATTER/TIME BOUND

No.A-43020/ 01 /2013-RTI
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya
****

31
New Delhi, Dated: 26.12.2013.

Subject: Information sought under the Right to Information Act, 2005.
****

Please refer to your application dated 30.10.2013 under the RTI Act, 2005 which was received in this Ministry 07.11.2013.

2. It is stated that the subject matter of your application does not come under the purview of the Ministry of Home Affairs, but it relates to State Government of Uttar Pradesh. Therefore, you are advised to contact State Govrnment of Uttar Pradesh directly.

3. The prescribed application fee of Rs. 10/- has been received in this Ministry vide receipt No. 27315 dated 12.11.2013.

4. The Appellate Authority in this regard is Shri Satpal Chauhan Joint Secretary (Admn.), MHA, North Block, New Delhi

Encl: As above.

(V.K.Rajan)
Dy. Secretary (E) & CPIO

To

Shri Data Ram
S/o Shri Hari Singh
Vill.- Bhawanpura,
Post- Adig,
Distt.- Mathura (UP)

ISSUED
31 DEC 2013
MHA (RB)

(4) राजबाला उस समय स्वचनार्थ क्यों नहीं बनी जब प्रेम कौर की हत्या हुई उस समय राजबाला मकान में मौजूद थी। प्रेम कौर की हत्या के चार महीने बाद प्रार्थी का परिवार किराये पर III A 45 विष्णु गार्डन में आया।

(5) प्रार्थी के सामने राजौरी गार्डन थाना की जीप पुलिस को मृतक बलवीर ने ब्यान देकर अपनी पत्नी प्रेम कौर के मर्डर की पुष्टी की थी। वही राजौरी गार्डन थाना के पुलिस उपायुक्त कार्यालय से आर टी आई में बलवीर के मर्डर को दिखा रहे हैं। प्रार्थी के कहने वाली बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं अगर स्वीकार करते हैं। तो गलती में फसते हैं। गलती से बचने के कहने को नहीं मान कर चल रहे हैं। दीवानी अदालत में SHO को पार्टी बनाया मृतक के भाई रामसिंह को पार्टी बनाया। चार साल चले मुकदमे को ट्रान्सफर करवा के इला रावत की अदालत में रामसिंह लाया। स्वरूप नगर की कोठी

(6) इला रावत के यहाँ इनकी सैटिंग थी। इला रावत ने डिग्री की स्वतनुसार खारिज किया। कहा रामसिंह पर डिग्री नहीं बनती है। उसने यह लिख कर दिया हुआ है। मैंने ना कब्जा किया है ना ताला लगाया है मनजीत बेदी ने कब्जा किया है उसी ने ताला लगाया है। मनजीत को पार्टी बनाकर दुबारा मुकदमा दायर किया जाए। प्रार्थी ने सेशन कोर्ट अनिल चावला के यहाँ अपील की। प्रार्थी की अपील मन्जूर हुई। प्रार्थी की फायल 275 नम्बर कमरा में नोटिस भेजदी गयी। इला रावत की जगह प्रीती अग्रवाल मौजूद मिली

(7) दि० 4 जनवरी 2003 में प्रार्थी का दावा डिग्री हुआ। अदालत के फैसले की कॉपी डीसीपी थाना राजौरी गार्डन में जमा की साथ में प्रार्थना पत्र दिया कि अगर मकान बिका था मकान में कब्जा हुआ तो उनकी जिम्मेवार पुलिस होगी। वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर केश दर्ज होने के आदेश दयानन्द नवाब के खिलाफ हुए। उन पर उपनिरीक्षक रमेश सिंह कमरा नं० 8 थाना तिलक नगर ने ब्यान दर्ज किये। अदालत के फैसले की कॉपी ली गयी। इसके बाद मामला रफा दफा दयानन्द ने करा दिया। प्रार्थी ने अदालत से फैसले की कॉपी निकलवाने हेतु वकील द्वारा नकल का सवाल डाला। उसमें जवाब दिया 2008 में आपका केश खतम कर दिया गया है। अब यहाँ कोई रिकार्ड नहीं रहा। प्रार्थी ने आर टी आई के माध्यम से जिला जज से जानकारी मांगी। जिसका मुझे कोई जवाब नहीं मिला है। जब प्रार्थी चार अदालतों तक पहुंच गया। गरीब कैसे न्याय पा सकता है। श्रीमानजी डिग्री की अवधी बारह साल होती है। मात्र पाँच साल में डिग्री की फायल कैसे खतम की गयी। प्रार्थी न्याय हेतु आपकी शरण में है। प्रार्थी है = दानाराम S/O श्री हरीसिंह - गाँव - भवनपुरा पोस्ट - डीग - जिला - मथुरा (यू०पी०)

1125/Vig
27-2-98

21

[illegible]/Compt.(W)/DA-II. dated New Delhi, the 27/2/98.

The Dy.Commissioner of Police,
Vigilance, Delhi.

Subject: Complaint of Sh. Data Ram.

Memo.

Kindly refer to your office No.F.24(431)West/97/Vig/66/HASR dated 1.1.98, on the subject cited above.

The matter has been looked into and the facts revealed are that the complainant was the tenant in property bearing No. III-E/45, Vishnu Garden, New Delhi. One more tenant namely Hari Nath was also tenant [illegible] in the said property. The landlord Bakshish Singh was murdered in the year 1995 and a case FIR No.660/95 u/s 308/304 IPC P.S. Tilak Nagar was registered in this regard. The culprit Hari Nath (second tenant) has been put behind the bars who is still in judicial custody. The complainant instead of vacating the premises closed down his portion under compelling circumstances. Now he wants to open the same to get him settled in the tenanted portion again. After the death of Bakshish Singh, the property is being looked by his daughter and real brother Ram Singh. A civil suit in this regard between the complainant and Ram Singh, brother of the deceased is pending in the Court of Sh. Suraj Bhan, Sub-judge, Tis Hazari, Delhi and the next date of hearing is 16.02.98. Since the matter is already sub-judiced in the Court, hence no police action is required.

The enclosures received with your memo under reference are returned herewith.

Encls: As above.

Addl. Dy.Commissioner of Police,
West Distt. New Delhi.

सं. ए-43020/01/2013-आर टी आई

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

****

नई दिल्ली, दिनांक: 09/09/2013

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री/~~श्रीमती/कुमारी~~ पमा राम का आवेदन।

*****

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत अपने दिनांक 16/8/2013 के आवेदन का अवलोकन करें जो इस मंत्रालय में दिनांक 29/8/2013 को ———————— द्वारा ~~अंतरण से~~ प्राप्त हुआ था। इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 एवं सूचना का अधिकार (शुल्क एवं लागत विनियंत्रण) नियमावली के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 की उपधारा (1) के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने का अनुरोध 10/- रु. के आवेदन शुल्क के साथ होना चाहिए, जो कि उपयुक्त रसीद प्राप्त कर नकद अथवा उस लोक प्राधिकारी, जिससे सूचना मांगी जा रही है, के "लेखा अधिकारी" को देय उपयुक्त डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर चैक या भारतीय पोस्टल आर्डर के माध्यम से दिया जा सकता है।

2. आपके ऊपर-उल्लिखित सूचना का अधिकार अधिनियम के आवेदन में निम्नलिखित कमियां पाई गई हैं:

i) 10/- रु. का शुल्क प्रेषित नहीं किया गया है जो कि गरीबी रेखा से नीचे वर्ग के व्यक्तियों को छोड़कर शेष सभी के लिए आवश्यक है। BPL कार्ड धारक के प्रमाण पत्र/नहीं

ii) शुल्क को कोर्ट फी स्टैम्प/गैर-न्यायिक पेपर/अकाउंट पेई चैक/डाक टिकट/ ———————— के माध्यम से भुगतान किया गया है, जो कि अधिनियम के अंतर्गत भुगतान का वैध माध्यम नहीं है।

iii) ———/रु. का डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल ऑर्डर प्रस्तुत किया गया है, जो कि अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित शुल्क नहीं है।

iv) प्रस्तुत किया गया डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल ऑर्डर उचित प्राधिकारी के पक्ष में देय नहीं है। यह "लेखा अधिकारी, गृह मंत्रालय" के पक्ष में देय होना चाहिए।

3. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, आपके सूचना का अधिकार अधिनियम के आवेदन को 10/- रु. के आई पी ओ/डिमाण्ड ड्राफ्ट/चैक/गैर-न्यायिक पेपर/कोर्ट फी स्टाम्प/————(सं. 11f 116044) के साथ मूल रूप में वापिस किया जाता है।

संलग्नक: उपर्युक्त के अनुसार

वी.के.राजन
(वी.के.राजन)
उप सचिव (ई) एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

सेवा में

श्री/~~श्रीमती/कुमारी~~ पमा राम
s/o श्री हरी सिंह
गाँव - मलपुरा
पो० - अरौंग
जिला - मथुरा (यू.पी.)

सेवा में   Date 18/9/013

केन्द्रीय अधिकारी
श्रीमान [illegible] महोदय
गृह मंत्रालय भारत सरकार दिल्ली

BY SPEED POST -8-013

विषय :- आर टी आई अधिनियम 2005 के अन्तरगत जानकारी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

थाना तिलक नगर पोस्ट ख्याला थाना आज भी इस सच्चाई को दबा रहा है

महोदय
अवगत कराना है कि प्रार्थी गरीब असहाय अकेली है। मजबूरन से है। प्रार्थी का बेरोजगार होने का सबूत दिल्ली मुख्य योजना भारत सरकार से होम डिलिवरी एजेन्ट एवं डीप एजेन्ट रहा है। प्रार्थी अपने समस्त परिवार से पहली जनवरी सन 1994 को आया था। मकान नं० III R 45 विष्णु गार्डन नई दिल्ली 18 में। मेरे आने से पहले उपरोक्त पते की जायदाद मालिक प्रेम कौर पत्नी बलबीर सिंह की इसी मकान में रह रहे किरायेदार हरीनाथ ने इस मकान को हड़पने की नीयत पर मारा। हरीनाथ नवाब दयानन्द चन्दीला का आदमी था। इन लोगों के मकान की कमजोरी हाथ लग गयी। कमजोरी यह थी मियां बीवी थे। इनके कोई औलाद नहीं हुई थी। नवाब जो नेता दयानन्द का सगा छोटा भाई है। और ड्रोन का कोमीनल बदमाश है हत्या के केश नवाब पर दर्ज है। इस गुण्डई पर इस ड्रोन ने काफी मकान इसी तरह से हड़पे है। जिस तरह मेरी किरायेदारी का मकान को अदालत के फैसले के बाद हड़पकर बेचा गया है। प्रेम कौर के मर्डर की पुष्टि बलबीर सिंह ने बीजी सेन्ट्रल पुलिस ने ब्यान देकर की थी। कि हरीनाथ इस मकान के लालच में मेरी पत्नी को मार चुका है मारेगा मुझे भी उस समय के डी०सी०पी दीपक मिश्रा को हमने सुरक्षा हेतु प्रार्थना पत्र लिख कर दिया था। फिर दो साल तक सभी वरिष्ठ अधिकारियों को मैंने लिखकर दिया था। इसके उपरान्त दि० 7/9/95 8/9/95 को बलबीर को मार दिया गया। उसी समय ख्याला चौकी नापे और थाने से सोते हुए जगदीश चन्द एस आई को उठाकर कातिल हरीनाथ को मौके वारदात पर पकड़वाया। ऐसे खतरनाक कातिल को पकड़वाया। जिसने लगातार दो हत्या की। इसके बदले में हमें इनाम मिला। इसी दरम्यान जबरन नेताओं ने पुलिस से मिलकर सामान सड़क पर फिकवा दिया। हत्या का केश कमजोर कराया गया। इस घोर अत्याचार का ब्योरा मदद हेतु सभी उच्च अधिकारियों को लिख कर दिया। सभी के आदेशों को दीपक मिश्रा डी०सी०पी०SHO के एल मीणा थाना तिलक नगर चौकी प्रभारी ख्याला दिनेश कुमार सभी वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश को ठुकराया अपने पदों का दुरुपयोग किया। नेता दयानन्द, नवाब की मदद की। इन तीनों भ्रष्ट पुलिस कर्मियों ने मेरे घर को जड़ से मिटाया है। आज तीनों प्रमोशन पर हैं। जो कानून के रखवाले कानून के भक्षक है सरकार ऐसे लोगों का प्रमोशन कर रही है। सरकार भी गलत काम करने वालों की हितैषी साबित हुई है।

Asstt. PIO Home Ministry Govt. of India New Delhi

U.No 15664 Date 2/9/13

5571/RTI/2013 6/9/13

JS(A)

DS(B)

US(P)

F.C.C. (Judl)

28/8/13

US AD(?)

SO(RTI) 30/8

(2) बोरुद्ध अधिकारियों की चिट्ठी पर दयानन्द नवाब पर कार्य वाही के आदेश हुए। आदेश पारित SHO थाना तिलक नगर को हुए। जिसका नं० 1208 उपायुक्त जोन ... कमरा नं० 8 में मेरे ब्यान दर्ज हुए। ये अदालत के फैसले के बाद की बात है। अदालत के फैसले की कॉपी धूमेशसिंह ने ली। और दयानन्द से मोटी रकम लेकर मामले को पेंडिंग में डालदिया। पुलिस सबूत ऐसा लेकर मिटाती है। नवाब के मॅडर के मामले में यूपी की दादरी थाने की पुलिस तिलक नगर थाने की पुलिस को लेकर नवाब के घर दबिश दी। नवाब को उठा कर तिलक नगर थाने लाये। दयानन्द को पता चला मेरे भाई को पुलिस उठाकर लेगयी और मार से सच्चाई उगल देगा। दयानन्द इलाके की जनता को इकट्ठी करके थाने लेगया। और थाने में पथराव कराया। उस समय SHO सतबीर राठी था। जिसने हवाई फायरिंग से जनता को भगाया। नेता दयानन्द को पकड़कर थाने में बन्दकिया। तीस हजारी कोर्ट में पेशी हुई। दीपक मिश्रा के आने पर इस पूरे मामले को रफा दफा कराया चुनाव लड़ने का रास्ता साफ करालिया। इसके अलावा दयानन्द पर उसके कोर्ट में केश हैं। आप जानकारी लें SHO सतबीर ने दयानन्द पर जो केश दर्ज किया था। सतबीर के चले जाने के बाद वह केश थाने से कैसे गायब हुआ। इसी तरह गायब हुआ है जिस तरह ख्याला थाने से मेरे मकान के कब्जे का मामला गायब किया है। भाग बख्शी के मडर का मामला रह गया है।

(3) अदालत में SHO के रूप मीणा को पार्टी बनाया। वह अदालत में हाजिर नहीं हुआ है तब पार्टी हुआ। मृतक के भाई रामसिंह को पार्टी बनाया। हरिकेस इन्टरनेट से 4 जनवरी 2003 को प्रीति अग्रवाल सिविल जज कमरा नं० 275 II फ्लोर तीस हजारी कोर्ट से दावा डिग्री हुआ। रामसिंह पर डिग्री है। मगन देवी को अदालत ने अवैध सन्तान घोषित किया। फैसले में मकान बिकने पर मकान टूटने पर रोक लगी मौजूद है। फिर ये मकान किस तरह बिका किस तरह टूटा। क्योंकि नेता और ये भ्रष्ट पुलिस अदालत से बड़े हैं जिन्होंने अदालत के फैसले को ठुकराकर अवैध कब्जा नवाब दयानन्द ने किया मकान से मेरा सामान गायब किया। मकान तोड़कर बनाया और दूसरी पार्टी को बेच दिया। क्या ये हुआ है कानून के दायरे में हुआ है। ये तो जोर जबरदस्ती का मामला है। दयानन्द नवाब ने मुझे मारने हेतु बदमाश लगा दिये मैं जान बचाकर गाँव चला गया। ये पूरा मामला आपके कार्यालय में अनगिनत बार पेश किया। आपके कार्यालय से जानकारी लें। फिर मुझे यह बताया जाय। मुझे इन्साफ क्यों नहीं मिला। क्यों नहीं दोषी लोगों के खिलाफ कार्य वाही हुई। क्या इसी को लोक तन्त्र कहते हैं। मुझे ये सारे जवाब चाहिए वो भी हिन्दी के माध्यम में हो। आर टी आई 2005 के नियम अनुसार जवाब दिया जाय। क्योंकि मैं भी इस देश का नागरिक हूँ। न्याय का अधिकार मुझे भी है।

प्रार्थी = ह० सीताराम S/o हरी सिंह - गाँव - भवनपुरा - पोस्ट - अड़ींग जिला - मथुरा (यू०पी)

ये मामला आपके कार्यालय में मौजूद है। न्याय क्यों नहीं मिला।

नोट: मुझे हिन्दी में सारी बातों का जवाब चाहिए। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मेरा कब्जा दोषियों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं हुई। बताया जाय।

आर टी आई मामला/समयबद्ध

PLEASE ISSUE
R&I SECTION

सं. ए-43020/01/2013-आर टी आई

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

****

नई दिल्ली, दिनांक: 10/1, 2014

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना।

***

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपने दिनांक 30.10.2013 के आवेदन का अवलोकन करें, जो इस मंत्रालय में दिनांक 07.11.2013 को प्राप्त हुआ था।

2. यह उल्लेख किया जाता है कि आपके आवेदन की विषय-वस्तु गृह मंत्रालय के कार्यक्षेत्र के तहत नहीं आती है, अपितु यह उत्तर प्रदेश, राज्य सरकार से संबंधित है। इसलिए, आपको उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से सीधे संपर्क करने की सलाह दी जाती है।

3. 10/-रु. का निर्धारित आवेदन शुल्क दिनांक 12.11.2013 की रसीद सं. 27315 के तहत प्राप्त हो गया है।

4. इस संबंध में अपीलीय प्राधिकारी श्री सतपाल चौहान, संयुक्त सचिव (प्रशा.), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली हैं।

संलग्नक: यथोपरि।

वी. के. राजन

(वी. के. राजन)
उप सचिव (स्था.) एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

सेवा में

श्री दाता राम,
पुत्र श्री हरि सिंह,
ग्राम – भवनपुरा,
डाक – अदीग,
जिला – मथुरा (उ.प्र.)।

जारी किया
ISSUED
10 JAN 2014
गृह मंत्रालय नार्थ ब्लॉक/MHA (NB)
हस्ताक्षर/Sign.............
प्राप्ति एवं प्रेषण अनुभाग/R&I

To be replied in Hindi

RTI MATTER/TIME BOUND

No.A-43020/ 01 /2013-RTI
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya
****

New Delhi, Dated: 26.12.2013.

Subject: Information sought under the Right to Information Act, 2005.
****

Please refer to your application dated 30.10.2013 under the RTI Act, 2005 which was received in this Ministry 07.11.2013.

2. It is stated that the subject matter of your application does not come under the purview of the Ministry of Home Affairs, but it relates to State Government of Uttar Pradesh. Therefore, you are advised to contact State Govrnment of Uttar Pradesh directly.

3. The prescribed application fee of Rs. 10/- has been received in this Ministry vide receipt No. 27315 dated 12.11.2013.

4. The Appellate Authority in this regard is Shri Satpal Chauhan Joint Secretary (Admn.), MHA, North Block, New Delhi

Encl: As above.

(V.K.Rajan)
Dy. Secretary (E) & CPIO

To

Shri Data Ram
S/o Shri Hari Singh
Vill.- Bhawanpura,
Post- Adig,
Distt.- Mathura (UP)

RTI Section

Provide Hindi translation

Hindi Section

अपेक्षित हिन्दी अनुवाद संलग्न है

18/हिन्दी/2014/T
01/01/2014

80 (RTI)
31.12.13